संख्या-75 / 1936 /चार-2015-44 (बजट)/2014

प्रेषक,

राम विशाल मिश्रा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई,2015

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के लिए एसीटेट फॉयल तथा टिशू पेपर के क्रय हेतु धनराशि रू0 3,06,320/- स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-457 /सं0नि-20 (अभि0 स्वी0)/2015-16 , दिनांक 01 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के लिए एसीटेट फॉयल तथा टिशू पेपर के क्रय हेतु धनराशि रू0 3,06,320/- (रूपये तीन लाख छः हजार तीन सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय किये जाने की अनुमति /स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त कार्य हेतु धनराशि का आहरण नियमानुसार यथावश्यकतानुसार कोषागार से किया जायेगा। धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्य के लिये ही किया जायेगा, किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष जमा कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-104- अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(राम विशाल मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 75 /1936 (1)/चार-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग
7 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।